ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-11* December (Supplementary Issue)-2017
Innovation The Research Concept

# जनजातीय महिलाओं की समस्याएँ, समाधान एवं विकास

**अशोक कुमार**
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय डूंगर महाविद्यालय,
बीकानेर, राजस्थान

**सारांश**

जनजातियों को हिन्दू समाज में परम्परागत रूप से निम्न समझा गया है ओर उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, गरीबी आदि का शोषण किया गया है। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, भूखमरी, गरीबी यहीं समस्याएँ पिछड़ेपन का कारण हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का कथन है कि हिन्दुओं का अछूतापन एक अनहोनी घटना है। संसार के किसी दूसरे हिस्से में मानवता ने इसका अनुभव नहीं किया है, किसी दूसरे समाज में इस जैसी कोई चीज है ही नहीं। न तो प्रारम्भिक समाज में और न ही आधुनिक समाज में। डॉ. घुरिए इनके लिए पिछड़े हुए हिन्दू शब्द का प्रयोग करते हैं।

महिलाएं देश की आबादी का आधा हिस्सा होती हैं। समाज का निर्माण तभी सम्भव है जब उनको मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाए। स्वाधीन भारत में जनजातीय के समस्त भेदभाव को वैधानिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है और उन्हें अन्य मनुष्यों की भांति अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनजातीय महिलाओ के उत्थान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना जिससे कि महिलाओं का शिक्षा, गरीबी आदि समस्याओं का निवारण सम्भव हो सकता है। अब ऐसा लगने लगा है कि इनकी स्थिति में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं।

**मुख्य शब्द :** जनजातीय महिला, संकेन्द्रण, जनजातीय महिलाओं की प्रस्थिति, निर्धनता, अशिक्षा, अस्पृश्यता, युवाग्रह, समस्याएँ, समाधान, विभिन्न योजनाएं।

**प्रस्तावना**

जनजातियां ही राजस्थान की आदिवासी अथवा मूल निवासी मानी जाती हैं। आजादी से पूर्व राजस्थान राजपूताना के नाम से जाना जाता था जिसमें 25 राजपूत रियासतें थीं। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक, 'एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान' तथा ओझा आदि ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह बताया है कि भील लोग ही दक्षिणी एवं दक्षिणी–पूर्वी राजस्थान के मूल निवासी थे। भीलों को पराजित करके ही राजपूतों ने अपना राज्य स्थापित किया। प्रो. बी.आर. चौहान ने भी इस बात की पुष्टि की है। राजस्थान की कई रियासतें भील एवं मीणा लोगों के अधिकार में थी। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 23,09,447 जनजातीय लोग निवास करते थे जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11.2 प्रतिशत था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय लोगों की कुल जनसंख्या 10,42,81, 034 है जिसमें से 92,238,534 जनजातीय लोग राजस्थान में निवास करते हैं। देश में जनजातीय लोगों की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है। दुर्गम एवं दूरस्थ स्थान में निवास करते वाले ऐसे समूह को जनजाति कहा जाता है जिनका विशिष्ट नाम, भाषा, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार होता है। राजस्थान की अधिकांश जनजातियां गाँवों में निवास करती हैं जो पहाड़ों एवं जंगलों में बसी हुई हैं सामान्यतः जनजातीय गाँव बहुत छोटे और बिखरे हुए या छितरे हुए हैं। अधिकांश गाँवों की जनसंख्या तो 200 से भी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार 86,93,123 जनजातीय जनसंख्या गांवों में तथा 5,45,411 नगरों में निवास करती है। स्पष्ट है कि राजस्थान में जनजातियां प्रमुखतः ग्रामों में निवास कर रही हैं।

**जनजातियों का संकेन्द्रण**

भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से हम राजस्थान की जनजातियों को निम्नांकित तीन भागों में बांट सकते हैं –

**दक्षिणी राजस्थान**

इस क्षेत्र के अंतर्गत बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले तथा उदयपुर जिले की सात तहसीलें (फलासिया, खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर, लसाड़िया तथा चिखा), चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील तथा सिरोही जिले की आबू रोड तहसील आदि सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 65.23 प्रतिशत भाग जनजातियों का है तथा राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या का 43.8 प्रतिशत भाग इस क्षेत्र में निवास करती है। भील, मीणा, गरासिया तथा दामोर, आदि इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं।

**पश्चिमी राजस्थान**

इस क्षेत्र में राजस्थान के 11 जिले आते हैं। ये हैं – झुन्झुनूं, सीकर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर तथा जालौर। इस क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या का 7.14 प्रतिशत भाग रहता है। भील एवं मीणा इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं।

**दक्षिण–पश्चिमी राजस्थान**

इस क्षेत्र में राजस्थान की जनजातीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग निवास करता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा तथा झालावाड़ जिले एवं चित्तौड़गढ़, उदयपुर व सिरोही जिले के कुछ भाग आते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, सहरिया तथा भील–मीणा है।

जनजाति शब्द अंग्रेजी के ज्तपइम शब्द का हिन्दी अनुवाद है। ज्तपइम शब्द लेटिन भाषा से बना है। यह खानाबदोशी जत्थे, झुण्ड, गोत्र, भ्रातुदल एवं अर्द्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती हैं। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन, एवं अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। डॉ. घुरिए इनके लिए "पिछड़े हुए हिन्दू" शब्द का प्रयोग करते हैं।

गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं – "स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जोकि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं।"

डॉ रिवर्स के अनुसार "जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध, आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं।"

**जनजातीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति**

महिलाओं के लिए पूरे भारतवर्ष में, साथ ही राजस्थान में वागड़ अंचल में कई कार्यक्रम चलाए गए हैं और निश्चय ही कुछ इच्छित परिवर्तन निहित रहे। ये इच्छित परिवर्तन महिला संसार में हुए हैं इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन दिशा बोध में अन्तर हो सकता है। महिला जगत में विशेषकर आदिवासी परिप्रेक्ष्य में उभर कर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको मूलभूत कहा जाए। जनजातीय महिलाओं की प्रस्थिति में भी परिवर्तन आया है।

पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में स्त्रियां निर्णय के अधिकार से वंचित नहीं रही हैं। पारिवारिक स्तर पर देखें तो परिवार से सम्बन्धित सम्पत्ति क्रय करने, बच्चों की शिक्षा, मकान की मरम्मत, अथवा जमीन खरीदने या बेचने सम्बन्धी निर्णयों में स्त्री अपनी राय व्यक्त करने लगी है। जनजातियां महिलाओं में तार्किकता इस रूप में दिखाई देने लगी हैं कि वे स्वयं नगर के बाजार से विभिन्न वस्तुओं में से दाम और गुणवत्ता परख कर आवश्यक वस्तु क्रय करने लगी हैं।

जनजातीय क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं जैसे आंगनबाड़ी, ग्रामीण बैंक, सरकारी समिति, स्कूल किसान सेवा केन्द्र, पंचायत की उपलब्धता और इनमें कार्यरत कर्मचारियों से अंतःक्रिया ने जनजातीय पुरुषों को प्रभावित किया है और इन संस्थाओं के प्रभाव से महिलाएं भी अछूती नहीं रही हैं। नगरीय प्रभाव के विभिन्न पहलू हैं जिनसे जनजातीय स्त्रियों की अन्तर्निहित क्षमताओं को बल मिला है। आदिवासी स्त्रियां नगरीय सम्पर्क होने से उन साधनों का प्रयोग करने लगी हैं जो पूर्व में जनजातीय क्षेत्र क नहीं पहुंचते थे। गाँवों के अवलोकन पर स्त्रियों को साबुन, तेल व अविकारी बर्तन, प्रसाधन सामग्री को प्रयुक्त करते देखा गया। आदिवासी खान–पान, रहन–सहन पर प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है। महिलाओं को बैंक के बारे में जानकारी होना और गाँवों में उम्र सम्बन्धी सूचना देने हेतु परिवार राशन कार्ड सौंपना इस ओर संकेत करता है कि महिलाएं इस तथ्य से अवगत हैं कि इस प्रकार की सूचना राशन कार्ड में दी गयी है।

सामाजिक मानवशास्त्रीय साहित्य में महिलाओं के जीवन को शोषित बताया जाता रहा है। बागड़ में स्थिति भिन्न नहीं है। स्त्रियों की स्थिति का जो पैराडाईम है उसमें वे अति शोषण से ग्रस्त हैं। सामाजिक, आर्थिक, लिंग आधारित शोषण मुक्ति की दिशा में प्रयासरत है।

नवीन आर्थिक साधनों ने जनजातीय जीवन, उनकी सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। आदिवासी पुरुष द्वारा ऋण लेकर ट्रैक्टर खरीदना, थ्रेसर द्वारा अनाज प्राप्त करना, ऐसे सभी कार्य में स्त्री समान रूप से भागीदार रहती है। जनजातीय महिलाओं का यह नया रूप सामने आया है जब वे नए क्षेत्र में दिखाई देने लगी हैं। उनकी द्रिकता का प्रसार हुआ है। घर की चारदीवारी अथवा खेत और गाँव तक सीमित रहने वाली स्त्री को नगर में कार्य करते, बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदते, चिकित्सालय में कतारबद्ध देखना यह प्रतिदर्शन व्यक्त करता है कि स्त्रियां जो परम्परागत जड़ता से छटपटा रही थी, उन्हें अवसर मिला है कि वे अपने अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्ति देने लगी हैं। उपर्युक्तस निर्धारकों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि सभ्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाजों में स्त्रियों की प्रस्थिति ऊँची है। यद्यपि उनमें अभी पिछड़ापन है।

**जनजातीय समाज में समस्याएँ**

**दुर्गम निवास स्थान एक समस्या**

लगभग सभी जनजातियां पहाड़ी भागों, जंगलों, दलदल–भूमि और ऐसे स्थानों में निवास करती हैं जहाँ

सड़कों का अभाव है और वर्तमान यातायात एवं संचार के साधन अभी वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उनसे सम्पर्क करना एक कठिन कार्य हो गया है।

**आर्थिक समस्याएँ**

वर्तमान सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण एवं नवीन सरकारी नीति के कारण जनजातीय लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में निर्धनता एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। गरीबी के कारण लोगों को अच्छा भोजन, वस्त्र और निवास नहीं मिल पाता। जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश ऐसे परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ मजदूरी करने वाले जनजाति परिवारों को वर्ष में 60 व 90 दिन तक भूखे ही सोना पड़ता है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व जनजातीय क्षेत्रों के लोग आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे और कम से कम जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को जुटाने में तो समर्थ थे ही।

**बाल विवाह की समस्या**

जनजातीय लोगों में विवाह साधारणतः युवावस्था में होते थे। अब उनमें बाल विवाह होने लगे हैं जो उच्च समझे जाने वाले हिन्दुओं के सम्पर्क का परिणाम है।

**कन्या मूल्य की समस्या**

जहाँ कुछ समय पूर्व तक जनजातीय लोगों में कन्या मूल्य वस्तुओं के रूप में चुकाया जाता था, वहाँ मुद्रा अर्थव्यवस्था के कारण अब कन्या मूल्य की माँग नकद के रूप में बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप जो लोग बढ़ते हुए कन्या मूल्य को नकद के रूप में नहीं चुका पाते, उनके लिए विवाह करना एक कठिन समस्या हो गया है। यही कारण है कि कुछ जनजातियों में कन्या–हरण की समस्या बढ़ती जा रही है।

**शिक्षा व मनोरंजन के केन्द्र युवागृहों का पतन**

युवागृह आदिवासियों में मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति तथा शिक्षा के प्रमुख साधन रहे हैं। युवागृहों को 'गोटुल' कहा जाता है। इनमें बालक–बालिकाओं एवं अविवाहित युवक–युवतियों को कर्त्तव्यपालन का पाठ सिखया जाता है। सभ्य समाज के लोगों ने इन युवागृहों को हीनता की दृष्टि से देखा, परिणामस्वरूप जनजातीय लोग भी इनके प्रति घृणा का भाव रखने लगे। अब यह संस्था समाप्त हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप जनजातियों पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं।

**वैश्यावृत्ति एवं यौन रोगों का पनपना**

जनजातीय लोगों की निर्धनता का लाभ उठाकर ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी एवं कुछ गैर–जनजातीय लोग उनकी स्त्रियों के साथ अनुचित यौन सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं जिससे वैश्यावृत्ति, पूर्व–वैवाहिक तथा अतिरिक्त वैवाहिक यौन सम्बन्ध की समस्याएँ पनपने लगी हैं। जो जनजातीय लोग औद्योगिक केन्द्रों पर श्रमिकों के रूप में अपने परिवार को गाँवों में छोड़कर गए हैं, उनमें भी वैश्यावृत्ति एवं यौन रोग पनपे हैं। जब वे गाँवों में जाते हैं तब गुप्त रोग अपनी स्त्रियों में फैला देते हैं।

**स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ**

जनजातीय लोगों को निर्धनता, परिस्थिति सम्बन्धी कारणों तथा गैर–जनजातीय संस्कृतियों के सम्पर्क में आने के फलस्वरूप अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे वस्त्रों का अभाव, विविध रोग व चिकित्सा–सुविधाओं का अभाव, संतुलित भोजन एवं पेय–पदार्थों की कमी।

**शिक्षा का अभाव**

जनजातियों में शिक्षा का अभाव है और वे अज्ञानता के अंधकार में जी रहे हैं। अशिक्षा लोगों के धनोपार्जन में भी बाधक रही है और सेठ–साहूकारों ने उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका खूब शोषण किया है।

**जनजातीय समाज में समस्याओं का समाधान**

1. आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी परिवारों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि दी जाए। उन्हें कृषि के आधुनिक तरीके से परिचित कराया जाए। स्थानांतरित खेती पर रोक लगायी जाए। उन्हें बैल, बीज एवं नवीन यंत्रों तथा कुएं आदि खोदने के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाए। घरेलू उद्योग धन्धों का विकास किया जाए, सहकारी समितियों की स्थापना की जाए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान एवं बिजली की व्यवस्था की जाए। कानून द्वारा उनका आर्थिक शोषण रोका जाए। उनके लिए उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाए जिससे वे नौकरियों में स्थान पा सकें।
2. सामाजिक समस्याओं के हल के लिए बाल–विवाह एवं कन्या मूल्य पर कानूनी राक के साथ–साथ इनके विरुद्ध जनत तैयार किया जाए। युवागृहों का पुनरूत्थान किया जाए और उनमें शिक्षा देने का प्रबंध किया जाए। जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए जिससे वैश्यावृत्ति समाप्त हो सके।
3. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, डॉक्टर एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंध किया जाए। उनके लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाए, ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके। चेचक, हैजा, आदि के टीकों का प्रबंध किया जाए। उन्हें स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराया जाए। इसके लिए समय–समय पर अलग–अलग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। चलते–फिरते अस्पतालों की व्यवस्था की जाए। स्कूलों, पंचायत घरों एवं युवागृहों में दवाओं आदि की व्यवस्था की जाए।
4. शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिए आदिवासियों के लिए सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाएं। शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी का सामना नहीं करना पड़े। कृषि, पशुपालन,

मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए।

5. सांस्कृतिक समस्याओं के हल के लिए डॉ. एल्विन का मत है कि ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें ललित–कलाओं की रक्षा की जाए। जनजातियों के लिए किए जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में हो। इससे भाषा की समस्या भी हल होगी। धार्मिक समस्याओं के लि के लिए यह आवश्यक है कि तर्क एवं वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त किया जाए।

**राजस्थान में जनजातीय विकास के नए कार्यक्रम**

**अनुसूचित जाति–जनजाति कल्याण छात्रावास**

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में आवासित छात्र–छात्राओं की अच्छी भोजन व्यवस्था हेतु 675 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। जनजातीय क्षेत्र के छात्रावासों के मैस भत्ते की राशि भी 675 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।

**आवासी विद्यालय**

अटरू (बारां) में छात्रों तथा टोंक में छात्राओं हेतु आवासीय विद्यालयों का नियमित संचालन किया जा रहा है।

**आरक्षण**

इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति की क्रमशः 8 एवं 6 प्रतिशत के आरक्षण में दुगुनी वृद्धि कर क्रमशः 16 एवं 12 प्रतिशत किया गया है।

**20सूत्री कार्यक्रम**

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के परिवारों को विभिन्न परिवार कार्यक्रमों में सहायता दी जा रही है।

**क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता**

1. राजस्थान पद्मश्री पुरस्कार योजना छात्राओं को स्कूटी वितरित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार योजना, 2018 को संचालित किया गया है।
2. राजस्थान शुभ शक्ति योजना पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को शुभ शक्ति योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा और अविवाहित बेटियों को 55000 रु. वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
3. राजस्थान में जनजातीय सहकारी विकास निगम द्वारा अनुजा निगम वेबसाईट लांच की गई है। यह वेबसाईट 3 जनवरी, 2018 को लांच की गई है। अनुसूचित जाति व जनजाति की योजनाओं की जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पात्र व्यक्ति घर बैठे योजनाओं का लाभ ले सकता है।
4. कोचिंग सुविधा : अनुसूचित जाति तथा जनातियों के छात्र/छात्राओं को अखिल भारतीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं हेतु निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग सुविधा व्यवस्था है।
5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग : इस विभाग की स्थापना वर्ष 1975 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास अर्थात् जनजातियों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण हुआ है।

**महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां**

राज्य में वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से 175 आश्रम छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जिनकी कुल क्षमता 11270 छात्र/छात्राएं हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 5 प्रतिभावान छात्रावासों में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भोजन, पोशाक आदि की अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए केन्द्र सरकार की सहायता से 15 शैक्षणिक परिसरों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्य से संचालन किया जा रहा है। इन शैक्षणिक परिसरों की कुल क्षमता लगभग 750 बालिकाएं हैं।

**निष्कर्ष**

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय भारत की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है। कई नए आंदोलन हुए हैं जिनमें कुछ का उद्देश्य तो सकारात्मक और निर्माणकारी रहा है, किन्तु कुछ का संगठित विरोध एवं विद्रोह। जनजातियों ने या तो अपने को राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ मिला लिया या वे अपने साथ अच्छा बर्ताव करने एवं पृथक राज्य की माँग के बीच झूलती रही हैं। आज उनमें अपनी गिरी हुई आर्थिक एवं सामाजिक दशा के प्रति निरन्तर जागरूकता में वृद्धि हो रही है। समकालीन राजस्थान में जनजाति असंतोष के लिए सच्चिदानंद पृथक सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखने की इच्छा एवं कृषि सम्बन्धी कारकों को प्रमुख मानते हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें अनेक कल्याणकारी योजनाएं इन वर्गों के लिए निर्मित और क्रियान्वित कर रही हैं। इन योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति बहुत बदलाव आया है, जो कि सराहनीय है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची**

1. *अलका रस्तोगी : आदिवासी सामाजिक संरचना एवं महिलाओं की प्रस्थिति, हिमांशु पब्लिकेशंस, पृ. 142, 145*
2. *उदयसिंह राजपूत : आदिवासी विकास एवं गैर सरकारी संगठन, रावत पब्लिकेशन, पृ. 1*
3. *योगेश अटल : आदिवासी भारत, रावत पब्लिकेशन्स, पृ. 1–2*
4. *प्रो. गुप्ता, शर्मा : सामाजिक मानवशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, पृ. 190, 192*
5. *गुप्ता, शर्मा : भारतीय सामाजिक समस्याएँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, पृ. 301, 304, 324*